श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/182-86/46797.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सचिन इण्टरप्राईजिज I-11/5, डी. एल. एफ. औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, (2) ठेकेदार श्री लालदेव शर्मा, सचिन इण्टरप्राईजिज, I-11/5, डी. एल. एफ. औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजकिशोर, मार्फत फरीदाबाद इन्जि० मजदूर यूनियन, जी-162, इन्दिरा नगर, सैक्टर 7, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राजकिशोर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से पूनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/68-86/46805.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 16, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रेम चन्द, पुत्र श्री नानक चन्द, गांव पाखल, डा० पाली, जिला फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री प्रेम चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/218-86/46813.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सारको इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 12/6, मिल स्टोन (देहली) मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कल्याण सिंह, पुत्र श्री रामरूप सिंह मानसिंह कालोनी, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई, शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री कल्याण सिंह की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/214-86/46820.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भारत स्टोन क्रेशि कम्पनी, अलंगपुर (कटन), फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बलबीर, पुत्र श्री आत्मा सिंह, द्वारा खान मजदूर यूनियन, गुरुकुल बगीची राय, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की ई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित द्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो वादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट रते हैं :—

क्या श्री बलबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?